नेशनलसीड्सकॉरपोरेषनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) श |द ‍ै 9001रू2008 – 14001रू2004 ब्वउचंदलश **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509–223873 ई–मेल %ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar

–: निविदा सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में 3 खण्ड़ों के 8 चकों की कुल 1778.49 हैक्टर जमीन खरीफ 2018 व रबी 2018–19 के सीजन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से फसलों के उत्पादन में हिस्से के आधार पर भुगतान हेतु सीलबंन्द निविदायें दिनांक 02.05.18 सांय 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 3:00 बजे फार्म मुख्यालय पर खोली जायेगी। निविदा की विस्तृत जानकारी, निविदाफार्म, नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से डाउनलोड की जा सकती है या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर राशि रूपये 1000/– निविदाफार्म शुल्क व रूपये 1500/– मात्र प्रति हैक्टर (रूपये प्रन्द्रह सौ मात्र) के हिसाब से डी.डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,सूरतगढ** के नाम देय हो, जमा कराना होगा।

प्रबंधक (उ.)

Particulars	Details
Date of issue of NIT	12.04.2018
Tender Document Download Start Date/time Tender Document Download End Date/time	12-04-2018 09.30 A.M. 02-05-2018 02.30 P.M.
Date and time for submission of offline bid	02-05-2018 02.30 A.M.
Tender Fee(To be deposited offline)	Rs 1000.00 (Rs. One Thousand only)
EMD (To be deposited of line)	Rs 1500.00 Per Hact. (Each Chak)
Address for Communication	DGM (Farm) Central State Farm, Suratgarh National Seeds Corporation Ltd- 335804
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Gajanand Singh Manager (P) 8239107997 e-mail ID ago.csfsuratgarh@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ for northern farm.

<u>समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग मे लाये जाने वाले सभी आदानो की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्ते।</u>

1 निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 1500/- प्रति है .डी.मात्र डी 0 **<u>(जो अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो)</u>** द्वारा जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर **<u>व अंतिम निपटान पूर्ण होने पर</u>** बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड व स्थायी पता देना होगा।

2 खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक कृषि रसायन कीट एंव) (ग्रोवर प्रोग्राम के अनुरूप) स्वयं ठेकेदार के होंगे । बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (बीमारी रसायन **<u>80</u>** उपलब्ध कराया जायेगा । जिसका भुगतान निविदादाता से**<u>% देय अग्रिम भुगतान राशि में समायोजित</u>** किया जायेगा । पानी नहर की उपलब्धतानुसाअर से उपलब्ध कराया जायेगा। गेंहू की फसल मे प्रोपीकोनाजोल दवा का छिडकाव (फंजीसाइड फफूदनाशक), करनाल बंट नामक बिमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नही कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिडकाव कराएगा, साधन ठेकेदार का होगा तथा दवा व साधन की कीमत उसके अंतिम भुगतान बिल मे से काट ली जायेगी। **<u>प्रस्तावित आवंटित क्षेत्र मे फार्म पर कृषि कार्यो हेतु / उपयोग मे लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।</u>**

3 खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसलबुआईउर्वरक का इस्तेमाल-, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन काइस्तेमालसिंचाई नालियों की साफ सफाई,फसल निराई गुडाई, रोंगिंग, फसल की रखवाली, काटाई गहाई /, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुचांकर उतारने आदि मेंइस्तेमालसभी श्रमिक व यांत्रिक ऑपरेशननिविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यो में होने वाले खर्च के एवज मे फसलउत्पादन के हिस्से की धनराशि (साफ व गुणवता युक्त उत्पादन) प्रतिपूर्ति की जायेगी। जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से एक वर्ष2018-19 के लिये खरीफ 2018व रबी 2018-19 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जायेगा। निविदादाता को देय हिस्से का मूल्यभारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 80% अग्रिम भुगतान के रूप मे फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्ति होने पर कियाजायेगा तथा शेष 20%भुगतान फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जायेगा। यदि किसी फसल कासमर्थन मूल्यभारत सरकार द्वारा निर्धारित नही हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मो के लिये श्रीगंगानगर मण्डी मूंगफली व मोठ के लिए)बीकनेरमण्डीके (आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम वन्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान कियाजायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगा-धांन -:16 अक्टूबर से नवम्बर तक 15, उडद, मूंग, मोठ वमूंगफली -नवम्बर व ग्वार30 नवम्बर से 11 अक्टूबर से अक्टूबर31, सरसों-16 अप्रैल से मई 15, चना-15अप्रैल से मई 15, गेहूं व जौ-15 मई से जून होगा तथा हिसार फार्म के लिये 15 धांन-16 अक्टूबर से नवम्बर 15, उडद, मूंग, मोठ वमूंगफली नवम्बर30 नवम्बर से 1, ग्वार-1 अक्टूबर से अक्टूबर व सरसों31,चना, मटर, मसूर -16 अप्रैल से मई 15, गेहूं व जौ-15 मई से

हरियाणा मण्डी में नही मिलती / जून होगा। यदि किसी दलहन फसल की जींस की दर हिसार 30 की निर्धारित मण्डी की दर पर भुगतान करने का प्रावधान किया जायेगा। 0पी0है तो यू

d& यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोडा जाएगा।

[k& किसी अन्य फसल की उपज निविदाक)र्ता का हिस्सा जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम (समर्थन मूल्य निर्धारित नही किया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकीकृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा । दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के 30 दौरानसंबंधित फसलकी अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारितकी जाएगी ।फसलके अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम कीन्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।

Xk& जूट एंव सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा), क्षेत्रीय कार्यालय, सिकंदराबाद के प्रोक्यूरमेण्ट प्राइस से 20% कम दर परखरीदे जायेगे।यदि किसी भी फसल काप्रोक्यूरमेण्ट प्राइसक्षेत्रीय कार्यालय, सिकंदराबाद में उपलब्ध नही है, तब खरीदमूल्य निगम की निर्धारितप्रोक्यूरमेण्ट प्राइस के अनुसार निर्धारित अनुसार किया जाएगा। किसानो को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार किया जाएगा।

/k& यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिशअथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभवित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त खराब हो / फीके रंग के / जाते है, तब ऐसी परिस्थितियों में,निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नही करेगा और कुल उपज में से फार्म केहिस्सेकीउपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकारनिविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नही कीजायेगी।

ड खलिहान पररा सीडके भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त कीटग्रस्त / फीका / खराब / विचलित / 15 मिट्टी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात / सूखा अनाज /% से अधिकपाए जाते हैं तब ऐसे लॉट की सफाईबीज की-स्वयं के खर्चे पर करनी होगी और रा सीड गैर (निविदाकर्ता द्वारा) मात्रा 15% से अधिकनही होना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वालागैरबीज यदि कोई-, तो क्रमश : फार्म के हिस्से का रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दियाजाएगा।

च निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुँचाए कम्बाइन मिक्सचर)Combine mixture) तथा रोगिंग मैटिरियल की मात्रा में सेनिविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गईमात्राको रख कर शेष मात्रा कोनिविदादाता को वापस कर दियाजाएगा।

4 कृषि प्रकिया का निर्धारण, फसल व प्रजति का चयन आवश्यकतनुसार फार्मद्वारा बिजाई के पूर्व कियाजायेगा।

5 निविदादाताद्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पंहुचा कर उतारने तक का कार्यसम्बंधित चक ईचांर्ज, खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशनुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफलनिविदादाता यदि कोई भूमि सुधार का कार्य करता है तो (जैसे भूमि समतल आदि करना) उस खर्च को ठेकेदार स्वंय वहन करेगा।

6 निविदादाता को सिंचाई हेतू पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तोनिविदादातास्वंययदि कोई व्यवस्था करता हैं वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफलनिविदादाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदादाता फार्म चक पर टयूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदादाता की सहमति से निर्णय होगा कि टयूबवैल फार्म पर रखने है या निविदादाता उखाड कर ले जायेगा। टयूबवैलव अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

7 बीज उत्पादन के लिए पृथककरण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसारनिविदादाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होगें। बीज प्रमाणीकरण से संबधित / बीजप्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहलीवार फार्मद्वारा वहन कीजायेगी। यदि सही तरीके से :रोगिंग न करने के कारण पुननिरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीसनिविदादाता को भरनी होगी।

यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणिकरण संस्थाद्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद का भुगतानसूरतगढ़ मंडी के के न्यूनतम औसत दरसे उसका (मूंगफलीव मोठके लिए बीकनेरमण्डी) भुगतान किया जायेगा।तथा हिसार फार्म के उत्पाद के लिये हिसार मण्डी को मानाजायेगा।

8 विभिन्न प्रकार के कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवम दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारीनिविदादाताद्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ, टीडीएस, दुर्घटना मुआवजा तथा समस्तवैधानिक देनदारी व दायित्वनिविदादाता का होगा यदि फार्म को किसी मामलें मेंनिविदादाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोईभुगतान करना पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे कोनिविदादाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।

9 कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होनेवाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भरकर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्मद्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्मद्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी।

10 उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर मे लिया जायेगा।

11 संबधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारीनिविदादाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हे वापस (अण्डर टेकिंग) फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पति कानिविदादाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निर्माण कार्य नही करेगा। फार्म से संबधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाईनिविदादाता से वसूली जायेगी।

12 संबधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवम अन्य क्रियाओं की अनुमति नही होगी।

13 संबधित प्रक्षेत्र पर कौनसी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधनद्वारा कियाजायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एंव सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए फार्म प्रबंधनद्वारा घटाया व बढाया जा सकता है।

14 निविदा में दिए गये एरिया को कम व ज्यादा करने एंव निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।

15 फसल कटाई के उपरांत पशु, भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।

16 फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा। यदि फार्म का कृषि उपकरण / मशीनरी उपयोग में आयी तो उसका निर्धारित किराया फार्म मे जमा करानाहोगा।

17 हिसार फार्म पर गेंहू फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मो पर सभी फसलों का नीरा गूणा भूसा) दिवस के अंदर वह स्वंय करेगा। 15 निविदादाता काहोगा जिसका निस्तारण गहाई के(व तूडी

18 फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निधारित समय सीमा एंव फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति मे करना होगा।

19 प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्यफार्म द्वारा निर्धारितकिया जायेगा। यदि लक्ष्यसे कम उत्पादनआता है तो ऐसी स्थिति मे फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कमउत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी।यदिनिविदादाताकी तरफ से फसल उत्पादनमे कमी पायी जाती हैतब निविदादाताइस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्मद्वारागठित कमेटी करेगी।निविदादाताका न्यूनतम उत्पादन लक्ष्यफार्मके औसत उत्पादनके बराबर होगा।

20 निविदादाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलजर भी अधिकतर क्षेत्र मे प्रयोग करना होगा।

21 निविदादाताद्वारा कीटं व बीमारी प्रबंधन के लियेअधिकतर क्षेत्र मे आईप्रकिया .एम.पी. अपनानीहोगी।

22 फसलउत्पादन मे होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारीनिविदादाता की होगी।

23 यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र थेडी है तो निविदादाता / द्वाराउक्त क्षेत्र से कोई छेडछाड नही की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नही की जायेगी।

24 निविदादाताको कार्य के किसी भी क्षेत्रको सबलेट करने का अधिकार नही होगा।

25 हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल आउटसोर्सिग का कार्य फसल वर्ष 2018-19 -खरीफ)2018 व रबी-2018-19 के लिए होगा। **<u>भविष्य में वोर्ड की स्वीकृति मिलने पर यह आऊट सोर्सिग का कार्य अन्य एक वर्ष के लिये आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।</u>**

26 यदिनिविदाकर्ताद्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नही किया जाता है, तब फार्मनिविदाकर्ता के जोखिम एंव लागत परनिर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा औरनिविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि सेकार्य संचालन की लागत के साथ5 साथ-% प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन मे इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य मे निविदा मे भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ हीउसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।

27 निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 100/- रूकेगैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन 0 नियमों वशर्तो कोकरार के रूप मेहस्ताक्षर करना होगा मूल करार फार्म के पास रहेगा और इसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दीजाएगी।

28 विशेष प्राकृतिक आपदा / परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान / नियंत्रण निदान सम्भव नही हो /, की स्थिति मे यदि निविदादाता अनुबंध की शर्तो को पूरा नही कर पाता है तो ऐसी स्थिति मेफार्म द्वारा गठित समिति के आंकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

29 पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक,राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिट्रटर का निर्णय अंतिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायलय में क्षेत्राधिकार माना जायेगा जिसके अंतर्गत एकल मध्यस्थ के सुनवाई होगी।

us'kuylhMldkWjiksjs'kufyfeVsM ¼Hkkjr ljdkjdkmiØey?kqjRu daiuh½ "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" **dsUnzh; jkT; QkeZ] lwjrx<+** ftykJhxaxkuxj ¼jkt-½ Qksu% 01509&223873 bZ&esy %ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar

दिनांकः–...

टोकन सख्या..................................

———निविदा पत्र———

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्साआधारीत उत्पादन पद्धति के आधार पर खरीफ 2018 व रबी 2018–19 में केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर की चक नं 39, 41, 44 एस.टी.जी., बीआरपी 1, 3 व 33 पीबीएन0, आरपीएम– 4 व 5 एसजीएम. की जमीन पर बीज उत्पादन के लिए दरें निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

1. निविदादाता का नाम व पता...
2. वोटर आई कार्ड/आधार कार्ड नं.(प्रतिलिपि सहित)..
3. फोन न...
4. पैन कार्ड नं. .(प्रतिलिपि सहित)..
5. अमानत राशि का विवरण डी.डी न. सहित...

क्र सं.		फसल उत्पाद की दर प्रतिशत में जो निविदादाता द्वारा ली जानी है ।		
1.	प्रस्तावित चक का नाम व क्षेत्र (हैक्टेयर)	फसल सीजन, फसल का नाम		फसल उत्पाद हिस्से की दर प्रतिशत में
		खरीफ–2018	**रबी 2018–19**	
1	39 STG. –291.75	उर्द, मूँग ,धान व ग्वार	सरसों, चना गेहूँ, व जौ, पालक	
2	41 STG. –181.0	उर्द, मूँग ,धान व ग्वार	सरसों, चना गेहूँ, व जौ, पालक	
3	44 STG. –184.0	उर्द, मूँग ,धान व ग्वार	सरसों, चना गेहूँ, व जौ, पालक	
4	BRP-1 – 76.0	उर्द, मूँग ,धान व ग्वार	सरसों, चना गेहूँ, व जौ, पालक	
5	BRP-3 –234.0	उर्द, मूँग ,धान व ग्वार	सरसों, चना गेहूँ, व जौ, पालक	
6	33 PBN.–276.62	उर्द, मूँग ,धान व ग्वार	सरसों, चना गेहूँ, व जौ, पालक	
7	RPM- 4–249.68	उर्द, मूँग ,धान व ग्वार	सरसों, चना गेहूँ, व जौ, पालक	
8	5 SGM- 285.44	उर्द, मूँग ,धान व ग्वार	सरसों, चना गेहूँ, व जौ, पालक	

मैंने निविदा की नियम एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझ ली है। मैं फार्म दवारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ पत्र रू 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड़
(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509–223873 (ऑफिस)

न्यूनतम उपज सीमा एवं उत्पादन हेतु निर्देश

क्रम सं.	चक नं.	फसल का नाम	फार्म द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपज सीमा प्रति हैक्टेयर (क्विंटल में)
2.	खरीफ 2018	धान	45.00
		उड़द	5.00
		मूँग	5.00
		ग्वार	4.00
3.	रबी 2018–19	सरसों	12.00
		चना	10.00
		गेहूं	30.00
		जौ	27.00
		पालक	12.00

(क) सफल निविदादाता को चक की प्रस्तावित भूमि में खरीफ में 90 प्रतिशत एवं रबी में 100 प्रतिशत बिजाई करनी होगी।

(ख) विभिन्न बीजों की बिजाई फार्म द्वारा दिए गये लक्ष्य के अनुसार करनी होगी जिसमें अधिकतम 10 प्रतिशत एरिया में फसल बिजाई का बदलाव किया जा सकता है।

(ग) सफल निविदादाता बिन्दु (क) के द्वारा दिए गये लक्ष्य के अनुसार बिजाई नहीं करता है तो बिजाई नहीं किये गये क्षेत्र में उत्पादन का आंकलन दिये गये उपरोक्त उपज सीमा के अनुसार करते हुए स्वीकृत हिस्सेदारी के अनुपात में हर्जाना वसूला जायेगा।

प्रबन्धक (उत्पादन) निविदादाता के हस्ताक्षर